पत्र संख्याः 329/XXVII(11)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा परीक्षा,
आयुक्त कर भवन, रिंग रोड,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ **देहरादून, दिनांकः 30 मार्च, 2017**

विषयः लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक कार्य योजना (2017-18) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में आडिट निदेशालय द्वारा किये जाने वाले निम्नलिखित विभागाध्यक्ष, कार्यालयों व संस्थाओं की लेखा परीक्षा कार्य योजना/वार्षिक कलेण्डर पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता हैः-

क. (i) श्रेणी 'ए' की संस्थायें

1. लोक निर्माण

1	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	चम्बा, रूड़की, रानीखेत, रामनगर
2	अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग	उत्तरकाशी, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़
3.	अधिशासी अभियंता, अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग	चकराता, श्रीनगर, भवाली
5	अधि0 अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग	अल्मोड़ा

2. सिंचाई

1	अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग	देहरादून, डाकपत्थर, हल्द्वानी
2	अधिशासी अभियंता, अवस्थापना खण्ड, सिंचाई विभाग	उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून
3	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग	पुरोला, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, ऋषिकेश
4	अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड, सिंचाई	हल्द्वानी, रामनगर

3. लघु सिंचाई

1	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग	उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौडी, हरिद्वार

4. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1	मुख्य चिकित्साधिकारी	अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उत्तराकाशी, टिहरी।
2	मुख्य चिकित्सा अधिक्षक	पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, (जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय) रूद्रपुर, नरेंद्रनगर, उत्तरकाशी, रूड़की।
3	प्रभारी चिकित्साधिकारी	भैंसियाछीना, चौखटिया, द्वाराहाट, सल्ट, किच्छा, खटीमा, गदरपुर, सितारगंज, धारचूला, मुन्स्यारी, भगवानपुर, मंगलौर, बहादराबाद, पुरौला, चिन्यालीसौड, प्रतापनगर, फकोट, हिण्डोलाखाल।

5. पशुपालन

1	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, चमोली, टिहरी।
2	पशु चिकित्साधिकारी / पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड –1	भगवानपुर, लक्सर, नारसन, रूड़की, कपकोट, काण्डा, धारचूला, मुन्स्यारी, रानीखेत, धौलादेवी, चौखुटिया, सोमेश्वर, उखीमठ, गैरसैंण, घाट, धनसाली, थराली, हिन्डोलाखाल, छाम।

6. समाज कल्याण

1	जिला समाज कल्याण	उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, पौडी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर।

7. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

1	जिला पूर्ति अधिकारी	देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौडी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तराकाशी
2	गढ़वाल मण्डल के बेस गोदाम	कोटद्वार, ज्वालापुर, रूड़की,
3	राजकीय खाद्यान्न गोदाम(गढ़वाल)	चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, बीरोखाल, मरोड़ापुल, गजा, दुगडडा, ऊखीमठ,(विशेष सम्परीक्षा) चम्बा, जामनीखाल।

8. वन विभाग

1	वन संरक्षक यमुना वृत्त	मसूरी वन प्रभाग, टौंस वन प्रभाग, चकराता वन प्रभाग, अपर यमुना वन प्रभाग
2	निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क	उप निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव प्रतिपालक, गोबिन्द व0जी0वि0 पुरोला
3	वन संरक्षक, गढ़वाल	गढ़वाल वन प्रभाग, बद्रीनाथ वन प्रभाग, उपरी गंगा वन प्रभाग, भू.स. वन प्रभाग अलकनंदा, सिविल सोयम वन प्रभाग पौड़ी
4	प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिणी कुमाऊ	भू.स. वन प्रभाग नैनीताल, भू.स. वन प्रभाग रानीखेत, भू.स. वन प्रभाग, रामनगर
5	प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिमी कुमाँऊ	हल्द्वानी वन प्रभाग, रामनगर वन प्रभाग, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

9. ग्राम्य विकास

1	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत विधायक निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, की निष्पादन लेखा परीक्षा (कुमांऊ में नैनीताल, उधमसिंहनगर, एवं गढ़वाल मण्डल देहरादून, टिहरी) से पूर्व पायलट स्टडी के रूप में जनपद टिहरी के विकासखण्ड चम्बा की निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्रारूप एवं विवरणी बनायी जायेगी।

(ii) श्रेणी 'बी'

1. कृषि

1	मुख्य कृषि अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर
2	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	रानीखेत, बारीछीना, उत्तरकाशी, बडकोट, काशीपुर, रूद्रपुर, लोहाघाट, कर्णप्रयाग, चमोली, कीर्तिनगर, चम्बा, रायपुर, सहसपुर, हल्द्वानी, सतपुली, पाबो, बागेश्वर, रूड़की, बहादराबाद, अगस्तमुनि, बेरीनाग

2. पंचायती राज

1	जिला पंचायतीराज अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर

3. पर्यटन

1	निदेशक, पर्यटन	देहरादून
2	क्षेत्रिय पर्यटन अधिकारी	अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़
3	राजकीय होटल एवं केटरिंग संस्थान	अल्मोड़ा, देहरादून

4. युवा कल्याण

1	जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर

5. आई0सी0डी0एस0

1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर
2	जिला कार्यक्रम अधिकारी के अन्तर्गत 03 (तीन) बाल विकास परियोजना अधिकारियों की लेखा परीक्षा सम्पादित की जायेगी।	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधमसिंहनगर
3	जिला कार्यक्रम अधिकारी के अन्तर्गत 02 (दो) बाल विकास परियोजना अधिकारियों की लेखा परीक्षा सम्पादित की जायेगी।	चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग

6. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

1	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	चौबटिया (अल्मोड़ा)
2	जिला उद्यान अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर
3	प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान पशिक्षण संस्थान	रामनगर, कोटद्वार
4	मुख्य कार्यकारी भेषज विकास इकाई	देहरादून

7. आबकारी

1	सहायक आयुक्त आबकारी	देहरादून
2	जिला आबकारी अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर

(iii) श्रेणी 'सी'

1. एन0सी0सी0

1.	कमाण्डिग आफिसर, 77 यू0के0 बटालियन नेशनल कैडेट कोर	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
2.	कमाण्डिग आफिसर, 24 यू0के0 गर्ल्स बटालियन एन0 सी0सी0	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
3.	आफिसर कमाण्डिग, 3 यू0के0 इनडेक कम्पनी नेशनल कैडेट कोर	उत्तराकाशी	उत्तरकाशी
4.	आफिसर कमाण्डिग, 1 यू0के0 आर0 एंड बी0 सकवाड्रन नेशनल कैडेट कोर	उधमसिंह नगर	उधमसिंह नगर
5.	कमाण्डिग आफिसर, 1 यू0के0 एयर सक्वाड्रन एन0सी0सी0	उधमसिंह नगर	उधमसिंह नगर
6.	आफिसर कमाण्डिग, 1 यू0के0 इनडेक कम्पनी नेशनल कैडेट कोर	चमोली	चमोली
7.	उप महानिदेशक नेशनल कैडेट कोर	देहरादून	देहरादून
8.	ग्रुप कमाण्डर एन0सी0सी0 मुख्यालय	देहरूादन	देहरादून
9.	कमाण्डिंग आफिसर 29 यू0के0 बटालियन एन0सी0सी0	देहरादून	देहरादून
10.	कमाण्डिंग आफिसर 11 यू0के0 गर्ल्स बटालियन एन0सी0सी0	देहरादून	देहरादून
11.	कमाण्डिंग आफिसर, 78 यू0के0 बटालियन नेशनल कैडेट कोर	हल्द्वानी	नैनीताल
12.	ग्रुप कमाण्डर नेशनल कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय	नैनीताल	नैनीताल
13.	कमाण्डिंग आफिसर, 5 यू0के0 नेवल यूनिट एन0सी0सी0	नैनीताल	नैनीताल
14.	कमाण्डिंग आफिसर, 79 यू0के0 बटालियन एन0सी0सी0	नैनीताल	नैनीताल
15.	कमाण्डिंग आफिसर, 80 यू0के0 बटालियन नेशनल कैडेट कोर	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
16.	आफिसर कमाण्डिंग, 4 यू0के0 इनडेक कम्पनी नेशनल कैडेट कोर	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल
17.	कमान अधिकारी 81 एन0सी0सी0 उत्तराखण्ड वाहिनी	बागेश्वर	बागेश्वर
18.	कमाण्डिंग आफिसर, 31 यू0के0 बटालियन नेशनल कैडेट कोर	हरिद्वार	हरिद्वार
19.	ग्रुप कमाण्डर नेशनल कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय	रूड़की	हरिद्वार
20.	कमाण्डिंग आफिसर 84 यू0के0 बटालियन एन0सी0सी0	रूड़की	हरिद्वार
21.	कमाण्डिंग आफिसर 3 यू0के0 सी0टी0आर0 एन0सी0सी0	रूड़की	हरिद्वार

2. राजकीय मुद्रणालय

1	निदेशक, राजकीय मुद्रणालय	रूड़की

3. सैनिक कल्याण

1	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर एवं लैंसडाउन
2.		

4. गन्ना एवं चीनी

1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी	काशीपुर
2	सहायक गन्ना आयुक्त	रूद्रपुर, देहरादून
3	जिला गन्ना अधिकारी	हरिद्वार

5. उच्च शिक्षा

1	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	रानीखेत, सोमेश्वर, चिन्यालीसौड, बडकोट, बाजपुर, सितारगंज, लोहाघाट, देवीधुरा, कर्णप्रयाग, घाट, चन्द्रबदनी, ऋषिकेश, डोईवाला, हल्द्वानी, बेतालघाट, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, सतपुली, पोखडा, रूद्रप्रयाग, लक्सर, मंगलौर

6. शिक्षा विभाग

1	जिला शिक्षा अधिकारी	उधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार
2	खण्ड शिक्षा अधिकारी	रायपुर, मोरी, सहसपुर, भटवाड़ी, नरेन्द्रनगर, चम्बा, जौनुपर, लक्सर, बहादराबाद, रानीखेत, द्वाराहाट, काशीपुर, बाजपुर, रामगढ़, रामनगर, भीमताल

(iv) अन्य संस्थायें

1. विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थायें

1	विश्वविद्यालय	श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, कुमाँऊ विश्व विश्वविद्यालय, नैनीताल

2. विकास प्राधिकरण

1	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	हरिद्वार
2	गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	उत्तरकाशी

3	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	देहरादून

3. मण्डी परिषद

1	मण्डी परिषद	रूद्रपुर

4. चाय विकास बोर्ड

1	उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड	अल्मोड़ा

ख– टी0जी0एस0 के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्तावित लेखे

ख (श्रेणी 'ए')
1. नगर निगम

1	नगर निगम	हरिद्वार, देहरादून

2. नगर पालिकायें(श्रेणी 'ए' एवं श्रेणी 'बी')

क. सं.	जिले का नाम	नगर पालिका परिषद	नगर पालिका परिषद की संख्या
1	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी, बड़कोट	2
2	चमोली	जोशीमठ, गौचर	2
3	टिहरी गढ़वाल	नई टिहरी	1
4	देहरादून	मसूरी, ऋषिकेश, विकासनगर	3
5	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी, कोटद्वार, दुग्ड्डा	3
6	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़, धारचूला	2
7	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	1
8	चम्पावत	चम्पावत	1
9	उधमसिंहनगर	किच्छा, सितारगंज, खटीमा, जसपुर	4
10	हरिद्वार	शिवालिक नगर	1
11	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	1
12	नैनीताल	नैनीताल, रामनगर, बिन्दुखाता	3
13	बागेश्वर	बागेश्वर	1
		योग	**25**

3. नगर पंचायतें(श्रेणी 'बी')

क0सं0	जिले का नाम	नगर पंचायतें	नगर पंचायतों की संख्या
1	उत्तरकाशी	गंगोत्री, चिन्यालीसौड	2
2	चमोली	नन्दप्रयाग, पोखरी	2
3	टिहरी गढ़वाल	चम्बा, दवेप्रयाग, घनसाली	3
4	देहरादून	—	
5	पौड़ी गढ़वाल	—	—
6	पिथौरागढ़	डीडीहाट, बेरीनाग	2
7	अल्मोड़ा	रानीखेत, भिकियासैण	2
8	चम्पावत	लोहाघाट, बनबसा	2
9	उधमसिंहनगर	सुल्तानपुर पटटी, नानकमत्ता, शक्तिगढ	4
10	हरिद्वार	झबरेड़ा, लंढौरा, भगवानपुर	3
11	रूद्रप्रयाग	उखीमठ	1
12	नैनीताल	लालकुआं, कालाढुंगी	2
13	बागेश्वर	कपकोट	1
			24

4. क्षेत्र पंचायतें(श्रेणी 'बी') एवं ग्राम पंचायतें(श्रेणी 'सी')

क. सं.	जिले का नाम	क्षेत्र पंचायतें / ब्लाक पंचायतें	क्षेत्र पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	अल्मोड़ा	हवालबाग, लमगड़ा, भैंसियाछीना, धौलादेवी, स्याल्दे	5	200
2	बागेश्वर	कपकोट	1	40
3	चमोली	देवल, घाट, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली	5	200
3	चम्पावत	चम्पावत, पाटी	2	80
4	देहरादून	रायपुर, सहसपुर, विकासनगर	3	120
5	हरिद्वार	खानपुर, नारसन	2	80
6	नैनीताल	भीमताल, कोटबाग, ओखलकाण्डा, रामगढ	4	160
7	पौड़ी गढ़वाल	द्वारीखाल, एकेश्वर, कल्जीखाल, कोट, पौड़ी, यमकेश्वर	6	240
8	पिथौरागढ़	धारचूला, डीडीहाट, मुन्सयारी, पिथौरागढ़	4	160
9	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि, जखोली	2	80
11	टिहरी गढ़वाल	देवप्रयाग, जाखणीधार, कीर्तिनगर, प्रतापनगर	4	160
12	उधमसिंहनगर	बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रूद्रपुर	4	160
13	उत्तरकाशी	मोरी, नौगांव, पुरोला	3	120
		योग	**43**	**1720**

5. जिला पंचायतें (श्रेणी 'बी')

1	जिला पंचायत	चमोली, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा

ग. विशेष सम्परीक्षा (विभागों के अनुरोध पर)

1. चिन्मय डिग्री कालेज, बी.ईच.ई.एल. हरिद्वार की अद्यावधिक लेखा परीक्षा।
2. नगर पालिका, मंगलौर
3. खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण, देहरादून वर्ष 2015–16।
4. बी0पी0 पाण्डेय(पुरूष) चिकित्सालय, नैनीताल
5. विधानसभा निर्माण की विशेष सम्परीक्षा।
6. चिन्यालीसौड हवाई पट्टी की विशेष सम्परीक्षा।
7. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के 05 संघटक संस्थानों (2012–13 एवं 2015–16) की विशेष सम्परीक्षा।
   i. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून।
   ii. टी0एच0डी0सी0 जल विद्युत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, टिहरी।
   iii. सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़।
   iv. प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर।
   v. राज्य संस्थान होटल प्रबन्धन और कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई टिहरी।
8. जी0बी पंत, इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी।

लेखा परीक्षा हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

(i) लेखा परीक्षा कार्ययोजना हेतु संलग्नक– 1, के अनुसार लेखापरीक्षा दल बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ii) आडिट का सम्पादन उत्तराखण्ड आडिट मैनुअल 2011 (शासनादेश संख्याः 275/xxvii (7)/2011 दिनांकः 29 नवम्बर, 2011) तथा उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(iii) आडिट टीमों का पर्यवेक्षण टीम प्रभारियों के तैनाती स्थल/जनपद के आधार पर संलग्नक–2 मे नामित अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

(iv) लेखापरीक्षा रिपोर्ट आडिट दल द्वारा आडिट मैनुअल के अनुसार निर्धारित समयवधि में निदेशक, लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय। इसके उपरान्त ही आडिट दल को यात्रा भत्ता देय होगा।

(v) लेखा परीक्षा हेतु समय सामान्यतः 02 सदस्यीय आडिट टीम हेतु अवधारित है। विभिन्न राजकीय विभागों/नगर निगम/नगर पालिका/क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत/विभिन्न संस्थाओं के लिए निम्नवत् रूप से लेखा परीक्षा हेतु समय आंवटित किया जाता है:–

कसं.	विभाग का नाम	लेखा परीक्षा अवधि	लेखन कार्य	कुल समय
1.	नगर निगम/नगर पालिका(श्रेणी 'ए')	22	2	24
2	नगर पालिका(श्रेणी 'बी')	8	2	10
3	नगर पंचायत	7	1	8
4	ब्लाक पंचायत (40 ग्राम पंचायतें)	27	3	30
5	जिला पंचायत	20	2	22
7	लोक निर्माण/सिंचाई	16	2	18
8	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	12	3	15
9	प्रभारी चिकित्साधिकारी	2	–	2
10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी	8	2	10
11	पशु चिकित्साधिकारी/कृषि संरक्षण अधिकारी	2	–	2
12	जिला समाज कल्याण अधिकारी	12	3	15
13	प्रभागीय वनाधिकारी	06	1	07
14	जिला शिक्षा अधिकारी	06	02	08
15	बेस गोदाम	12	3	15
16	राजकीय गोदाम/जिला पूर्ति अधिकारी	6	1	7
17	जिला शिक्षा अधिकारी /पंचायती राज/ राजकीय महाविद्यालय	7	1	8
18	सैनिक कल्याण/गन्ना एवं चीनी/**क्षेत्रिय पर्यटन अधिकारी**	5	0	5
19	युवा कल्याण/ आबकारी/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	05	01	06
20	खण्ड शिक्षा अधिकारी	6	–	6
21	प्रौद्योगिकी संस्थान	08	01	09
22	कुमाऊ विश्वविद्यालय (अद्यावधिक)	36	4	40
23	श्री देवसुमन विश्वविद्यालय/**उ0 मुक्त विश्वविद्यालय/चाय विकास बोर्ड**	18	02	20
24	हरिद्वार विकास प्राधिकरण , हरिद्वार(अद्यावधिक)	20	02	22
25	दून विशेष क्षेत्र प्राधिकरण,	12	03	15
26	मण्डी परिषद(अद्यावधिक)	82	8	90
28	आई0सी0डी0एस0	12	3	15
29	एन0सी0सी0	3	0	3
30	राजकीय मुद्रणालय/**निदेशक, पर्यटन/राजकीय होटल केटरिंग, देहरादून/सहायक आबकारी आयुक्त**	8	2	10
31	लघु सिंचाई, अ.अभियंता/गंगोत्री विकास क्षेत्र प्राधिकरण	10	02	12
32	ग्राम्य विकास(विशेष सम्परीक्षा)	100	–	100

क. **ग्राम्य विकास विभाग :**

प्रथमतयाः लेखा परीक्षा टीमों द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा के रूप में चिन्हित लेखे की लेखा परीक्षा की जायेगी।

(vi) विशेष सम्परीक्षा के अन्तर्गत बिन्दु संख्याः (5) एवं (6) की विशेष सम्परीक्षा हेतु टीमों का गठन वित्त आडिट प्रकोष्ठ द्वारा अलग से किया जायेगा।

(vii) लेखा परीक्षा अभिलेखों पर आधारित होगी, लेखा परीक्षा दल द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणियों, आपत्तियों के संबन्ध में साक्ष्यों(working Documents) सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशालय लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेगें।

(viii) लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी (expert committee) के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी। निदेशालय, लेखा परीक्षा में आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह में एक्सपर्ट कमेटी के सम्मुख आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। समय की शिथिलता किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ix) यदि किसी आडिटी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सूचना प्रपत्र (information sheet) किसी कारण से नहीं दी जाती है तो निदेशालय को आडिट दल द्वारा अवगत कराया जायेगा। किन्तु लेखें की लेखा परीक्षा नियत तिथि पर ही प्रारम्भ की जायेगी एवं टीम लीडर यह सूचना प्रपत्र संस्था द्वारा भरवाना सुनिश्चित करेगें।

(x) आडिट रिपोर्ट मे संस्थाओं में चल रही केन्द्र पोषित योजनाओं के किर्यान्वयन/फंडिग पैर्टन पर विशेष टिप्पणी की जायेगी।

(xi) आडिट सम्पादित करने के लिये टेस्ट आडिट पद्धति/कार्यप्रणाली अपनाई जायेगी। टेस्ट आडिट पद्धति हेतु सैम्पलिंग के रुप में आय पक्ष हेतु एक माह एवं व्यय पक्ष हेतु दो माह का लेखा परीक्षा दल द्वारा प्रतिवर्ष चयन किया जायेगा। आय की लेखा परीक्षा को सम्पादित करने हेतु वर्ष में वह माह चयनित किया जायेगा जिसमें अधिकतम् आय (ब्याज को छोड़कर) होगी। इसी प्रकार अधिकतम व्यय वाले दो माह का चयन व्यय की लेखा परीक्षा हेतु किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं में निर्माण कार्य हुए है उसमें मूल्यों के अनुसार पांच बडी परियोजनाओं का प्रारम्भ से अंत तक विस्तृत लेखा परीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त पांच सबसे बडे अनुबन्ध जो अन्य कार्यों से सम्बन्धित होगें की भी विस्तृत लेखा परीक्षा की जायेगी।

(xii) सर्वप्रथम टी0जी0एस0 के अन्तर्गत शहरी निकायों की लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा दल को आवंटित की जायेगी। तद्परान्त विभागीय आंतरिक लेखा परीक्षा एवं अन्तिम चरण में पंचायतों की लेखा परीक्षा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार लेखा परीक्षा के कार्यदिवसों में अधिकतम 33.33% प्रतिशत की वृद्धि निदेशक (लेखा परीक्षा) द्वारा की जा सकती है।

(xiv) टीम लीडर द्वारा प्रत्येक सप्ताह पर्यवेक्षक अधिकारी को लेखा परीक्षा कार्य की प्रगति से दैनन्दिनी द्वारा अवगत कराया जायेगा। पर्यवेक्षक अधिकारी प्रत्येक माह निदेशक, लेखा परीक्षा को लेखापरीक्षा कार्य प्रगति से अवगत करायेगें।

(xv) पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा दल का निरीक्षण प्रत्येक माह कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से किया जायेगा। पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा टीमों का औचक निरीक्षण किया जाना भी अपेक्षित होगा। जिसमें पर्यवेक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा दलों को लेखा परीक्षा के समय मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाय। इसकी आख्या निदेशक, लेखा परीक्षा को निरीक्षण उपरान्त एक सप्ताह में प्रस्तुत की जायेगी।

(xvi) यदि टीम लीडर किसी कारण से अवकाश पर रहता है। इस स्थिति में लेखा परीक्षा का कार्य टीम के सदस्य द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(xvii) लेखा परीक्षा दल द्वारा त्रैमास के अंत में यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि त्रैमास के समस्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्धारित समयानुसार निदेशालय लेखा परीक्षा/पर्यवेक्षक अधिकारी को प्रस्तुत किये जायें।

(xviii) यदि आडिटी द्वारा लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो सम्बन्धित कारणों को लिखित रूप में प्राप्त कर लेखा परीक्षा दल द्वारा निदेशालय को तत्काल अवगत कराया जायेगा ।

(xix) लेखा परीक्षा कार्ययोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में वित्त आडिट प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(xx) पर्यवेक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अन्तर्गत समस्त आडिट टीम के पास लेखा परीक्षा कार्य (लेखा परीक्षा कार्य एवं रिपोर्ट का आलेखन) है। लेखा परीक्षा दल का

वार्षिक कार्यक्रम पूर्ण हेाने की स्थिति में अतिरिक्त लेखा परीक्षा आवंटित करने हेतु शासन को एक माह पूर्व संसूचित किया जायेगा।

(xxi) विभागों की लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 की सम्पादित की जायेगी। नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत एवं इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण एवं मण्डी समितियां की लेखा परीक्षा अद्यावधिक की जायेगी।यदि महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा टी0जी0एस0 के अन्तर्गत आवंटित लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न कर ली गयी हो तो उसके बाद के वर्षो की लेखा परीक्षा आडिट दल द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

(xxii) लेखा परीक्षा टीमें समय का पूर्ण सद्पयोग करते हुए निर्धारित कार्यदिवसों में यथासम्भव बचत भी प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

(xxiii) निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा टीम का त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। लेखा परीक्षा टीम का पूर्ण विवरण (फोटो सहित) संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें सम्बन्धित टीम के सदस्यों के मो0 न0 एवं ई– मेल आईडी उपलब्ध करायी जायेगी। लेखा परीक्षा तत्काल एक सप्ताह में प्रारम्भ की जानी सुनिश्चित करें।

(xxiv) विशेष सम्परीक्षा में सम्बन्धित विभाग/संस्था की लेखा परीक्षा के उद्देश्य का सुस्पष्ट उल्लेख लेखा परीक्षा टीम को दिया जायेगा।

(xxv) प्रत्येक त्रैमास कार्यक्रम में 02 अतिरिक्त लेखों की लेखा परीक्षा हेतु आवंटित किया जायेगा। अतिरिक्त लेखों की लेखा परीक्षा उसी स्थिति में सम्पादित की जायेगी जबकि आवंटित लेखा परीक्षा संस्थाओं में से किसी संस्था द्वारा निर्धारित तिथि को लेखा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में लिखित रूप में असमर्थता व्यक्त की गयी हो। निदेशालय द्वारा स्थगित की गयी आडिटी संस्था के स्थान पर अतिरिक्त आवंटित संस्था के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लेखा परीक्षा हेतु तिथि निर्धारित की जायेगी।

(xxvi) टीम लीडर प्रत्येक कार्यदिवस पर्यवेक्षक अधिकारी को लेखा परीक्षा में किये गये कार्यों के बारे में ई–मेल या फैक्स द्वारा अवगत कराएगा। यदि ईमेल या फैक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में दूरभाष द्वारा पर्यवेक्षक अधिकारी को अवगत कराया जायेगा। यदि टीम लीडर द्वारा किसी कारण से दूरभाष/ईमेल/फैक्स से सूचना नहीं उपलब्ध करा पायेगा। उस

परिस्थिति में पर्यवेक्षक अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह आडिट दलों से निरन्तर सम्पर्क में रहना सुनिश्चित करेगें।

(xxvi) लेखा परीक्षा के दौरान आडिटी को अन्तिरिम आपत्तियां (Rough Note) निर्गत की जायेंगी। जिनका परिपालन सम्बन्धित आडिटी से लेखा परीक्षा पूर्ण होने से पूर्व या अधिकतम 15 दिन में प्राप्त करते हुए केवल अनिस्तारित व अपरिपालित आपत्तियों को सम्मिलित कर ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (अन्तरिम आपत्तियां व परिपालन आख्या संलग्न कर) लेखन हेतु दी गयी अवधि में तैयार कर अनुमोदन हेतु निदेशालय लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जायेगा।

(xxvii) वार्षिक कार्ययोजना, 2017–18 हेतु लेखा परीक्षा कार्य दिनांकः 15 अप्रैल, 2017 से प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त तिथि से पूर्व समस्त लेखा परीक्षा दल अपने पूर्व कार्ययोजना से सम्बन्धित कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(xxviii) प्रत्येक टीम लीडर की E-mail id वित्त आडिट प्रकोष्ठ/निदेशेक, लेखा परीक्षा को लेखा परीक्षा कार्यक्रम निर्गत होने के एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त टीम लीडरों द्वारा ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन साफ्ट काफी में email द्वारा श्रेणी 'ए' के लेखों को ukauditcell@gmail.com पर अनिवार्य रूप से आडिट मैनुअल के निर्धारित समयावधि अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्रेणी 'बी' 'सी' के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उपरोक्त रूप निदेशालय लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाये।

इस सम्बन्ध में टीम लीडर का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वह निर्धारित समयावधि में लेखा परीक्षा रिपोर्ट e-mail से Kurti-10 (font size 14) Mangal के (font size 11) में टंकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।

(xxix) जिन टीमों में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी नामित की लेखा परीखा आवंटित की गयी। संबन्धित टीम द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के आहरण–वितरण के लेखों की लेखा परीक्षा दो दिवस में की जायेगी। इसके अतिरिक्त 04 राजकीय विद्यालय एवं 04 स्थानीय निधि अनुदानित अशासकीय विद्यालय के की लेखा परीक्षा टीम के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग–अलग रूप से की जायेगी। विद्यालय हेतु प्रत्येक सदस्य की एक दिवस की गणना की जायेगी।

(xxx) वर्तमान कार्ययोजना में 40 पंचायतों हेतु (20 दिवस पंचायत हेतु + 07 दिवस ब्लाक पंचायत) निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक एक पंचायत हेतु एक ही लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्मिक द्वारा सम्पादित की जायेगी। अतः टीम में प्रत्येक सदस्य को 20 पंचायतों का कार्य आवंटन किया गया है।

(xxxi) ग्राम पंचायतों की सम्परीक्षा 05 वर्ष लम्बित सम्परीक्षा अवधि (वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं उसके पहले चार अतिरिक्त वित्तीय वर्षों का आडिट) वरीयता के आधार पर चयनित करते हुए की जायेगी ।

(xxxii) लेखा परीक्षा हेतु समय 02 सदस्यीय आडिट टीम हेतु अवधारित है। टीम में सदस्यों की संख्या में अवकाश की दशा में उपरोक्त निर्धारित समय में अनुपातिक रूप से वृद्धि अनुमन्य होगी, किन्तु अनुपस्थिति यथासम्भव न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

पत्र सं0–329/xxvii(11)/2017 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, वैभवपैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
4. सम्बन्धित वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।